प्रेस विज्ञप्ति
26.10.2026

ईडी ने देशव्यापी साइबर धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि के शोधन नेटवर्क के प्रमुख "लियन-फिक्सर" के रूप में कार्य करने वाले अधिवक्ता को मुंबई हवाई अड्डे पर फरार होने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया; मामले में सातवीं गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत मुंबई स्थित अधिवक्ता रशेष भरतकुमार उपाध्याय उर्फ रशेष शाह को दिनांक 24.10.2026 को गिरफ्तार किया है। उसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोर्डिंग गेट पर उस समय रोका गया, जब वह बिना किसी वापसी की बुकिंग के, सुबह की दिल्ली जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट से मुंबई से निकलने का प्रयास कर रहा था। यह कार्रवाई **मुंबई सीमा शुल्क विभाग** और **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)** के **सक्रिय एवं समयोचित सहयोग** से संभव हो सकी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तरी गोवा ने उसे दिनांक 29.10.2026 तक ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों ने गोवा की एक निवासी महिला और उसके पति को लगातार वीडियो निगरानी में रखा, उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जाली आदेश दिखाया और उन पर दबाव डालकर लगभग ₹2.6 करोड़ की राशि ऐसे खातों में हस्तांतरित करवाई, जिन्हें झूठे तौर पर "गुप्त निगरानी खाते" बताया गया था।

ईडी की जाँच में धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का पता 400 से अधिक म्यूल खातों के माध्यम से उन कंपनियों के नेटवर्क तक लगाया गया, जो कमोडिटी, यात्रा और विदेशी मुद्रा के कारोबार में संलग्न थीं। इस नेटवर्क को फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सय्यद द्वारा डमी निदेशकों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। इस नेटवर्क ने लगभग ₹28,000 करोड़ के बैंकिंग लेन-देन किए और लगभग ₹2,900 करोड़ की नकदी जमा की। इसके बैंक खाते 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पीड़ितों की 300 से अधिक शिकायतों और 160 से अधिक प्राथमिकी में सामने आए हैं। इन मामलों में ₹400 करोड़ से अधिक की कथित हानि की सूचना दी गई है।

रशेष उपाध्याय इस नेटवर्क की एक प्रमुख कड़ी था। जब भी साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नेटवर्क के बैंक खाते फ्रीज किए जाते थे, तो वह संबंधित एजेंसियों के कुछ संदिग्ध अधिकारियों को आंगड़ियों के माध्यम से नकद रिश्वत देकर उन खातों को अनफ्रीज करवाने की व्यवस्था करता था। वह रिश्वत की राशि, नकदी एकत्र करने के स्थान और आगे भुगतान किए जाने की व्यवस्था तय करता था। उसके अपने स्वीकारोक्ति संबंधी बयान के अनुसार, उसने विभिन्न एजेंटों के लिए ऐसे लगभग 100 खातों को अनफ्रीज करवाने की व्यवस्था की थी, जिसमें एक मामले में ₹60 लाख से अधिक का भुगतान

भी शामिल था। धोखाधड़ी से प्राप्त फ्रीज की गई धनराशि तक नेटवर्क की पहुँच बहाल करके वह देशभर में डिजिटल धोखाधड़ी के पीछे कार्यरत धन शोधन के ढाँचे को सक्रिय बनाए रखता था। ईडी की तलाशी के बाद भी उसने ये गतिविधियाँ जारी रखीं, जिनमें ईडी द्वारा फ्रीज किए गए खाते भी शामिल थे। उसने सह-आरोपियों के साथ हुई चैट डिलीट कर दीं और फरार होने का प्रयास करने से पहले अपने सभी ज्ञात मोबाइल नंबर बंद कर दिए।

अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बावजूद, उसने सह-आरोपियों या उनकी कंपनियों की ओर से कभी किसी न्यायालय में पैरवी नहीं की और न ही कोई वकालतनामा दाखिल किया। उसने रिश्वत की दलाली करने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को मुक्त करवाने के लिए अपनी पेशेवर हैसियत का दुरुपयोग आड़ के रूप में किया। ऐसा आचरण विधिक व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच संवाद को प्राप्त संरक्षण उन संवादों पर लागू नहीं होता, जो किसी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों अथवा किसी अपराध या धोखाधड़ी के किए जाने को दर्शाते हों।

इस मामले में यह सातवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले दो व्यक्तियों, फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सय्यद सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इनमें वे एजेंट भी शामिल हैं, जिन्होंने नेटवर्क को बैंकिंग लेन-देन के लिए प्रविष्टियाँ उपलब्ध कराईं और उसके फ्रीज किए गए खातों को अनफ्रीज करवाने की व्यवस्था की।

रिश्वत प्राप्त करने वाले अधिकारियों, आंगड़ियों तथा इसमें शामिल अन्य बिचौलियों की पहचान करने और अपराध से अर्जित धनराशि की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।